भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4271

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के विस्तार के लिए नए लक्ष्य

4271. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में पीएम-किसान योजना के कवर क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई नया लक्ष्य नियत किया है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कवर किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य वार ब्यौरा क्या है और नए लक्ष्य के अंतर्गत प्रस्तावित अतिरिक्त संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में, विशेषकर तमिलनाडु के लिए, इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के कवर क्षेत्र में बटाईदार किसानों, साझीदार किसानों और जनजातीय किसानों को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) क्या बढ़ती लागत के दृष्टिगत पीएम-किसान योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता राशि बढ़ाए जाने का विचार है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों में रुपये 3.90 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है। वर्तमान में चालू वित्त वर्ष में पीएम किसान योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए कोई नया लक्ष्य नहीं रखा गया है।

(ख): पीएम-किसान के अंतर्गत योजना की 20वीं किस्त दिनांक 02.08.2025 को जारी की गई। पीएम-किसान की 20वीं किस्त के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर है।

(ग): पीएम-किसान के अंतर्गत धनराशि का कोई राज्यवार आवंटन नहीं है। पिछले 3 वर्षों में पीएम-किसान के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित लाभार्थियों को जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

किस्त की अवधि	**देश भर के किसानों को वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)**	**तमिलनाडु के किसानों को वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)**
अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022	22,618.80	707.52
अगस्त, 2022 - नवंबर, 2022	18,042.08	452.94
दिसंबर, 2022 - मार्च, 2023	17,650.61	414.31
अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023	19,203.93	443.91
अगस्त, 2023 - नवंबर, 2023	19,596.81	491.39
दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024	23,092.29	503.46
अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024	21,057.13	460.03
अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024	20,666.20	455.94
दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025	23,500.83	501.87
अप्रैल, 2025 - जुलाई, 2025	20,843.44	463.97

(घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध

दिनांक 04.08.2025 तक पीएम-किसान की 20वीं किस्त के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का राज्यवार विवरण

#	राज्य	20वीं किस्त	
		लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,159	2.83
2	आंध्र प्रदेश	40,06,453	816.14
3	अरुणाचल प्रदेश	88,292	19.84
4	असम	19,33,783	400.36
5	बिहार	73,65,327	1,511.02
6	चंडीगढ़	-	-
7	छतीसगढ	25,17,925	561.42
8	दिल्ली	11,516	2.89
9	गोवा	6,296	1.32
10	गुजरात	51,38,305	1,100.87
11	हरियाणा	16,09,832	349.77
12	हिमाचल प्रदेश	8,29,996	174.94
13	जम्मू और कश्मीर	8,73,673	182.71
14	झारखंड	18,89,647	468.95
15	कर्नाटक	43,29,135	877.32
16	केरल	28,89,822	606.65
17	लद्दाख	17,931	3.84
18	लक्षद्वीप	2,313	0.48
19	मध्य प्रदेश	83,01,722	1,718.97
20	महाराष्ट्र	92,05,501	1,912.57
21	मणिपुर	74,094	17.87
22	मेघालय	1,79,617	39.29
23	मिजोरम	1,28,014	37.05
24	नागालैंड	1,88,784	47.40
25	ओडिशा	34,65,575	724.72
26	पुदुचेरी	5,538	1.11
27	पंजाब	11,34,567	387.76
28	राजस्थान	71,79,664	1,562.73
29	सिक्किम	31,328	7.65
30	तमिलनाडु	22,24,726	463.97
31	तेलंगाना	30,48,771	620.83
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,808	2.49
33	त्रिपुरा	2,15,587	45.08
34	उत्तर प्रदेश	2,29,17,063	5,047.58
35	उत्तराखंड	8,19,201	182.10
36	पश्चिम बंगाल	44,78,537	942.92
	कुल योग	**9,71,33,502**	**20,843.44**

*****